[2021] 10 एस. सी. आर 161

प्रशांत सिंह राजपूत

बानाम

मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1202)

08 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस। 439 – हत्या के मामले में अग्रिम जमानत-एफ. आई. आर. और एस. एस. के तहत बयान। 161 और 164

दो उत्तरदाताओं को अपराध में एक विशिष्ट भूमिका का संकेत दिया-उच्च न्यायालय ने दो उत्तरदाताओं को अग्रिम जमानत दे दी-आयोजित के खिलाफ चुनौती: अग्रिम जमानत देने के आदेश की अनदेखी की गई

अपराध की प्रकृति और गंभीरता सहित भौतिक पहलू और प्रत्यर्थियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप-इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए पर्याप्त मामला बनाया गया है। जमानत: जमानत देने के आदेश और जमानत रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन को चुनौती-दृष्टिकोण में अंतर

न्यायालय को अपनाना चाहिए-वे विचार जो महिपाल मामले में समझाई गई अपीलीय न्यायालय की शक्ति का मार्गदर्शन करते हैं।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. इस स्तर पर सामग्री की जांच आपराधिक मुकदमे के तरीके से एक महीन टूथकोम्ब से नहीं की जा सकती है। यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या अनुदान के लिए मापदंड हैं

एकल न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत को सही ढंग से तैयार किया गया और लागू किया गया। [पैरा 21] [174-ए]

2. वर्तमान घटना के संबंध में, अपीलार्थी का मामला एफ़. आई. आर., धारा 161 के तहत उसके बयान और 164 सी. आर. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. की धारा 164 के तहत

अन्य दो चश्मदीद गवाहों के बयान। दूसरी ओर, उत्तरदाता सह-अभियुक्त द्वारा दायर जवाबी प्राथमिकी पर भरोसा करते हैं, जिसके अनुसार वे अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थे और

सह-अभियुक्त ने आत्मरक्षा में मृतक को गोली मार दी। जे. एम. एफ. सी. के आदेश अपीलार्थी के कहने पर दर्ज एफ. आई. आर. की सामग्री का विज्ञापन करते हैं। जाँच अधिकारी की पहली रिपोर्ट दिनांकित थी

15 दिसंबर 2020 ने संकेत दिया कि एक प्रथम दृष्टया मामला था

सह-अभियुक्त के कहने पर पंजीकृत। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा चित्रित मामले को केवल काउंटर-एफ़. आई. आर. पर भरोसा करके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। [पैरा 27] [178-ए-डी] 3. उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2020 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कहा कि घटना के समय प्रतिवादी उपस्थित नहीं थे। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने जाँच के दौरान स्पष्ट कमियों को दूर नहीं किया है जिन्हें 13 फरवरी 2021 के जे. एम. एफ. सी. के आदेश और 24 मार्च 2021 के निचली अदालत के आदेश में उजागर किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ ये हैं: (i) चश्मदीद गवाहों के बयानों पर ध्यान देने में विफलता; (ii) घटना के बाद की अवधि के लिए सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा करना, पूर्व या समकालीन फुटेज को नजरअंदाज करना; (iii) जबलपुर और अपराध स्थल के बीच सीसीटीवी फुटेज एकत्र नहीं करना; (iv) यह निर्धारित किए बिना सीडीआर पर भरोसा करना कि क्या उत्तरदाताओं ने ऐसा किया था।

वास्तव में संख्या का उपयोग किया; और (v) कोई फिंगर प्रिंट विश्लेषण नहीं करना। 13 फरवरी 2021 के आदेश में जे. एम. एफ. सी.

कि चालान केवल सह-अभियुक्त के संबंध में था, और उत्तरदाताओं की भूमिका को संबोधित नहीं करता था। जाँच में स्पष्ट कमियों ने अग्रिम जमानत के लिए प्रतिवादी के आवेदनों को अस्वीकार करने वाले निचली अदालत के आदेश में त्रुटियों की ओर इशारा किया है। हालाँकि, एकल न्यायाधीश ने इन महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की है। [पैरा 28] [178-डी-एच] 4. उत्तरदाताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपीलार्थी का बयान यह है कि

प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी पर भी गोली चलाई, एफ. आई. आर. और सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत उसके बयान में केवल यह दर्ज है कि उसने उसे बंदूक के बट से मारा था। मुकदमा अभी होना बाकी है जहाँ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षय की सराहना की जाएगी।

और धारा प्रशांत सिंह राजपूत v के तहत अपने बयान में अपीलार्थी के दावे की सत्यता।

मध्य प्रदेश का राज्य

164 वहाँ निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान स्तर पर,

एफ. आई. आर. और धारा 161 और 164 के तहत अपीलार्थी के दोनों बयान उतने ही सुसंगत हैं जितना कि उस प्रतिवादी ने बंदूक के बट से उसके सिर में मारा था। एक तर्क भी है अपीलार्थी को हुई चोट की प्रकृति के संबंध में उठाया गया, लेकिन इसका निर्णय साक्षय दिए जाने के बाद परीक्षण के चरण में किया जाना है। [पैरा 29] [17 9-ए-सी]

5. न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या इसके आधार पर

इस स्तर पर उपलब्ध सामग्री, उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को अनुमति देने में सही सिद्धांतों को लागू किया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है जिसमें पीड़ित की हत्या कर दी गई थी। एफ. आई. आर. और सी. आर. पी. सी. की धारा 161 और 164 के तहत दिए गए बयान अपराध में प्रतिवादियों की एक विशिष्ट भूमिका का संकेत देते हैं। अग्रिम जमानत देने वाले आदेश में अपराध की प्रकृति और गंभीरता और उनके खिलाफ विशिष्ट आरोपों सहित भौतिक पहलुओं की अनदेखी की गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए एक पर्याप्त मामला बनाया गया है। [पैरा 30] [17-डी-ई]

महिपाल वी. राजेश कुमार (2020) 2 एससीसी 118: [2019]

14 एससीआर 529; डॉ. नरेश कुमार मंगला बनाम। अनीता

अग्रवाल और अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 1031 -

पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 14 एससीआर 529

उस पर भरोसा करें

पैरा

15 (वी)

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का No.1202।

उच्च न्यायालय के 01.07.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 के एम. सी. आर. सी. No.31835 में मध्य प्रदेश की जबलपुर पीठ।

के साथ

2021 की आपराधिक अपील No.1203

उदय गुप्ता, सुश्री शिवानी एम. लाल, सौरभ सिंह, एम. के. त्रिपाठी,

हरीश दासन, राजीव रंजन, हीरेन दासन, अभिनव श्रीवास्तव, सनी चौधरी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

[2021] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. सी. मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. के. गंगेले, सुश्री प्रिया शर्मा, प्रथवी राज चौहान, सुश्री रितु गंगेले, रुद्र कुमार डे, अरूप बनर्जी, अनन्या मिश्रा, इलिन सारस्वत, महेंद्र कुमार, संतोष कुमार पांडे, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूचकांक

अपील

ए. बी.

तथ्य।

एस.

प्रस्तुतियाँ

विश्लेषण

डी.

निष्कर्ष

ई.

ए अपील

1. ये अपीलें उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ के एकल न्यायाधीश के 1 जुलाई 2021-1 और 31 मई 2021-2 के फैसलों से उत्पन्न होती हैं। मध्य प्रदेश राज्य के लिए जिसके माध्यम से उसने भारतीय दंड संहिता 1860 9 की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के मझोली पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध 4 के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 19733 की धारा 438 के तहत दोनों अपीलों में दूसरे प्रतिवादियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को अनुमति दी।

2. 29 सितंबर 2020 को अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई देहाती/एफ़. आई. आर. के आधार पर अपराध दर्ज किया गया था। एफ. आई. आर. में आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता मृतक विकास सिंह (जो उसका बहनोई था) और दो अन्य व्यक्तियों (राजकिशोर राजपूत और धर्मेंद्र पटेल) के साथ नेगाई तिराहा में था। यह आरोप लगाया गया था कि चार आरोपी व्यक्तियों,

उजियार सिंह, उनके दो बेटे चंद्रभान सिंह और सूर्यभान सिंह (साथी अपील में दूसरा प्रतिवादी) और उनके चालक जोगेंद्र सिंह (मुख्य अपील में दूसरा प्रतिवादी) एक जीप में पहुंचे। इसके बाद, कथित तौर पर पिछली प्रतिद्वंद्विता के कारण, उजियार सिंह और

1 एस. एल. पी. (आपराधिक) 2021 की सं. 5786 ("प्रमुख अपील") 2 एस. एल. पी. (आपराधिक) 2021 की सं. 5788 ("सहयोगी अपील") 3 "सी. आर. पी. सी".

4 2020 का अपराध सं. 329

5 " आई. पी. सी. "प्रशांत सिंह राजपूत बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

चंद्रभान सिंह ने विकास सिंह पर गोली चलाई, जबकि जोगेंद्र सिंह ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि सूर्यभान सिंह ने अपनी बंदूक के बट से अपीलार्थी के सिर पर वार

किया, जिससे वह घायल हो गया। अस्पताल लाए जाने पर विकास सिंह को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद अपीलार्थी ने प्राथमिकी दर्ज कराई।

3. सूर्यभान सिंह और जोगेंद्र सिंह ने अपराध के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किए। अग्रिम के लिए आवेदन की अनुमति देते समय

जोगेंद्र सिंह की जमानत पर, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, जांच से यह पता नहीं चला कि वह अपराध स्थल पर भी मौजूद था। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर ऐसी रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावा, इसने कहा कि भले ही वह मौके पर मौजूद था, उसके खिलाफ मृतक विकास सिंह पर गोली चलाने या उजियार सिंह/चंद्रभान सिंह को मृतक विकास सिंह पर गोली चलाने के लिए उकसाने का कोई आरोप नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के लिए उनके आवेदन को अनुमति देते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदन की अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि यदि आवेदक पंद्रह दिनों के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है

आज से, उसे अदालत के समक्ष नियमित रूप से पेश होने के लिए संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक मुचलके के साथ 1,000 रुपये (केवल पचास हजार रुपये) की राशि का व्यक्तिगत मुचलका भरने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

मुकदमा।

यह आदेश अनुपालन के अधीन कार्यात्मक रहेगा

आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तें:

1.आवेदक सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा

उसके द्वारा निष्पादित बंधन;
2. आवेदक जाँच/परीक्षण में सहयोग करेगा, क्योंकि

मामला हो सकता है;

3. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा देने में शामिल नहीं होगा ताकि उसे अदालत में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

या पुलिस अधिकारी को, जैसा भी मामला हो;

4. आवेदक अपराध के समान अपराध नहीं करेगा।

जिसमें वह आरोपी है; [2021] 10 एस. सी. आर.

5. आवेदक इस अवधि के दौरान अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।

मुकदमा चलाना; और

6. आवेदक, जैसा भी मामला हो, निचली अदालत/जांच अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।"

इसी तरह, सूर्यभान सिंह द्वारा दायर आवेदन पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के तहत

सी. आर. पी. सी. की धारा 173 ने संकेत दिया कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, लेकिन गवाहों के बयानों, आरोपी व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों के टावर स्थान के आधार पर जबलपुर में था।

और सीसीटीवी फुटेज। उच्च न्यायालय ने कहा कि सूर्यभान सिंह के खिलाफ 'एकमात्र' आरोप यह था कि उन्होंने अपीलार्थी पर हमला किया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप केवल एक साधारण चोट लगी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के लिए उनके आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया:

" 8 ..... इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदन की अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि यदि आवेदक

आज से पंद्रह दिनों के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, उसे Rs.50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) की राशि में एक निजी मुचलके के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उनकी नियमित उपस्थिति के लिए संबंधित न्यायालय। 9. यह आदेश अनुपालन के अधीन कार्यात्मक रहेगा

आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तें:

1. आवेदक सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा

उसके द्वारा निष्पादित बंधन;

2. आवेदक जाँच/परीक्षण में सहयोग करेगा, क्योंकि

मामला हो सकता है;

3. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा देने में लिप्त नहीं होगा ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, जैसा भी मामला हो;

4. आवेदक अपराध के समान अपराध नहीं करेगा।

जिसके लिए वह अभियुक्त है;

5. आवेदक इस अवधि के दौरान अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।

मुकदमा चलाना; और

6. आवेदक, जैसा भी मामला हो, निचली अदालत/जांच अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। प्रशांत सिंह राजपूत बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बी तथ्य

4. मृतक-विकास सिंह और आरोपी व्यक्तियों के बीच इस विवाद की उत्पत्ति कथित तौर पर 23 तारीख की शिकायतों से हुई थी।

फरवरी 2019 और 27 जुलाई 2020 को मृतक विकास सिंह ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उजियार सिंह और सूर्यभान सिंह के खिलाफ 23 फरवरी 2019 की अपनी शिकायत में, उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी व्यक्ति उन्हें और कृषि गतिविधियों में लगे उनके श्रमिकों को धमकी दे रहे थे, कथित तौर पर क्योंकि वे क्षेत्र से संबंधित नहीं थे और

उन्होंने जमीन पट्टे पर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने वाहन में उनका पीछा किया था और उनके खिलाफ झूठी शिकायतें भी दर्ज कराई थीं। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि वे उन्हें धमकी दे रहे थे क्योंकि वे पास की नदी से रेत के अवैध खनन के व्यवसाय में लगे हुए थे और उस भूमि से गुजरते थे जिस पर वह वर्तमान में रेत का परिवहन करते हुए खेती कर रहे थे (जिसे उन्होंने खेती शुरू करने के बाद से करने से रोक दिया था)। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने और गांव के अन्य निवासियों ने उनके खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

5. इसके बाद 27 जुलाई 2020 को जोगेंद्र सिंह के खिलाफ अपनी शिकायत में विकास सिंह ने आरोप लगाया कि उसने जोगेंद्र सिंह को चोरी करते हुए पकड़ा था

अवैध रूप से खुदाई की गई रेत जिसे पुलिस ने पहले उससे जब्त कर लिया था, जिसके बाद जोगेंद्र सिंह ने उसकी जान लेने की धमकी दी। उसकी शिकायत के आधार पर, 28 जुलाई 2020 को आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत जोगेंद्र सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के पनगर पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया था। मृतक-विकास सिंह ने 4 अगस्त 2020 को एक और लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे आशंका है कि जोगेंद्र सिंह और उसके भाई के हाथों उसकी जान को खतरा है, जो उसकी शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज होने के बाद से उसे धमकी दे रहे थे।

6. दूसरी ओर, जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह के अनुसार, विकास सिंह द्वारा की गई शिकायतें वास्तव में जवाबी-विस्फोट थीं।

इसके बाद से पूर्ववर्ती: (i) मृतक के पिता-विकास सिंह, मादक पदार्थों की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के साथ धारा 8 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद। 6 2020 [2021] 10 एस. सी. आर. का अपराध सं. 720।

20 क्रमशः वर्ष और 3 वर्ष; और (ii) मृतक के दादा डकैती के साथ हत्या के मामले में एक आरोपी के रूप में आरोपित किया गया था।

7. वर्तमान मामले के संबंध में, अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, लगभग 12: 45 29 सितंबर 2020 को शाम को मृतक-विकास सिंह अपीलार्थी और दो अन्य व्यक्तियों के साथ नेगाई तिराहा के पास थे। आरोपी

व्यक्ति कथित तौर पर एक जीप में पहुंचे, जिसे जोगेंद्र सिंह चला रहा था। एक बार जब उन्होंने जीप खड़ी की, तो उजियार सिंह कथित तौर पर एक कुर्सी पर बैठ गए, जबकि उनके बेटे (चंद्रभान सिंह और सूर्यभान सिंह) उनके पास खड़े थे। कथित तौर पर, उनकी पहले से चली आ रही दुश्मनी के कारण, उजियार सिंह ने विकास सिंह के पेट में गोली मार दी। जब विकास सिंह ने भागने की कोशिश की तो उसे जोगेंद्र सिंह ने पकड़ लिया। इसके बाद चंद्रभान सिंह ने उजियार सिंह से बंदूक ली और कथित तौर पर विकास सिंह के सिर में गोली मार दी, जबकि सूर्यभान सिंह ने बंदूक के बट से अपीलार्थी के सिर पर हमला किया।

इसके बाद, चार आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर अपनी जीप में चले गए, जबकि अपीलार्थी और अन्य दो व्यक्ति विकास सिंह को अस्पताल ले गए, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा 30 सितंबर 2020 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अपीलार्थी का बयान दर्ज किया गया था। बाद में, अपीलार्थी और अन्य कथित चश्मदीद गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत 16 अक्टूबर 2020 को दर्ज किए गए।

8. इसी घटना के संबंध में, उजियार सिंह ने मध्य राज्य के जबलपुर जिले के मझोली पुलिस स्टेशन में एक अपराध भी दर्ज कराया। प्रदेश मृतक के खिलाफ-विकास सिंह और अपीलार्थी के खिलाफ 30 सितंबर 2020 को आई. पी. सी. की धारा 354,506,323,324 और 34 के तहत। क्रॉस-एफ़. आई. आर. में, उन्होंने आरोप लगाया कि अपराध 29 सितंबर 2020 को दोपहर 1 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ था। उसने आरोप लगाया कि उसे उसका चालक बबलू चला रहा था जब वह मृतक विकास सिंह और अपीलार्थी से नेगाई तिराहा के पास मिला। वहाँ, मृतक-विकास सिंह ने कथित तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, उसे बताया कि वह रेत माफिया से है और उसे गाली देना शुरू कर दिया। जब उसने कथित तौर पर उसे रुकने के लिए कहा, तो अपीलार्थी पर आरोप है कि उसने उस पर लाठी से हमला किया।

कान के ऊपर उसके सिर के बाईं ओर खून बहने लगा, जबकि मृतक-विकास सिंह ने उस पर लात और घूंसे से हमला करना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि यह तब हुआ जब उन्होंने अपनी पंजीकृत आग्नेयास्त्र-एक 0.22 राइफल चलाई।

7 2020 का अपराध सं. 331 प्रशांत सिंह राजपूत बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

- विकास सिंह पर, जिसने उनके पेट और सिर में वार किया। अपीलार्थी ने तब कथित तौर पर अपने हाथ को लाठी से मारा, जिसके कारण बट और बैरल मारा गया

बंदूक टूट गई और उसके बाएं हाथ से खून बहने लगा। कथित तौर पर, वह अपने चालक बबलू के साथ मौके से भागने में सफल रहा। 9. वर्तमान घटना की जांच के दौरान, जोगेंद्र सिंह ने रेत चोरी के लिए आईपीसी की धारा 379 के तहत अपने खिलाफ दर्ज अपराध में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। 8 अक्टूबर 2020 के अपने आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि आवेदन में आक्षेपकर्ता (मृतक-विकास सिंह) की हत्या कर दी गई थी, जिसमें जोगेंद्र सिंह उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था:

" यह मामला एक साधारण मामले से परे चला गया है

रेत की चोरी के मामले में अग्रिम जमानत। तत्पश्चात, इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान आक्षेपकर्ता की हत्या कर दी गई है जिसमें आवेदक को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है और प्रत्यक्षदर्शी गवाही है जो घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति और मृतक को वापस खींचने में उसकी भागीदारी के बारे में बताती है जब मृतक ने भागने की कोशिश की थी और

उसकी जान बच गई।

चाहे जो भी हो, यह न्यायालय अपराध सं. 329/2020 के गुण-दोष पर कोई भी टिप्पणी करने से बचता है क्योंकि यह इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। लेकिन साथ ही, यह अदालत इस तथ्य पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती कि इस मामले में विरोध करने वाले की हत्या कर दी गई है और मामले ने कहीं अधिक गंभीर मोड़ ले लिया है और यह केवल रेत की चोरी के मामले तक ही सीमित नहीं है।
इन परिस्थितियों में, यह एक ऐसा मामला हो सकता है जिसमें अपराध No.720/2020 के संबंध में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी।

और इसलिए, आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

इसके बाद, जोगेंद्र सिंह ने धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए एक आवेदन दायर करने की मांग करते हुए अपना आवेदन पूरी तरह से वापस ले लिया।

सी. आर. पी. सी., जिसे उच्च न्यायालय द्वारा 7 जनवरी 2021 के अपने अंतिम आदेश में दर्ज किया गया था।

10. सी. आर. पी. सी. की धारा 173 के तहत 15 दिसंबर 2020 को प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह को नामित किया गया था।

आरोपी, लेकिन जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह की विकास सिंह की मौत में कोई भूमिका नहीं बताई गई क्योंकि वे जबलपुर, 40 [2021] 10 एस. सी. आर. में थे।

जिस स्थान पर घटना हुई थी, उससे किलोमीटर दूर। रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है: (i) कॉल डेटा रिकॉर्ड 3, जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह के मोबाइल फोन से टॉवर मैपिंग और पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क डेटा; (ii) सीसीटीवी फुटेज; और (iii) जबलपुर में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करने वाले स्वतंत्र गवाहों के बयान। 11. अपीलार्थी और मृतक विकास सिंह के परिवार के अन्य सदस्यों ने एक विरोध याचिका दायर की। 13 जनवरी 2021 के एक आदेश द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरोहा ने निम्नलिखित कारणों से आगे की जांच का निर्देश दिया: (i) जाँच अधिकारी की रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज और जोगेंद्र को साबित करने वाले गवाहों के बयानों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया।

पुलिस द्वारा अपराध स्थल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किया गया था, जबकि अपीलार्थी की एफ़. आई. आर. और यहाँ तक कि उजियार सिंह की एफ़. आई. आर. घटना का समय क्रमशः दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे और 12.45 दोपहर और 1 बजे के बीच: ((iii) पुलिस ने घटना स्थल और जबलपुर के बीच की सड़कों के सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं की थी।

(iv) उजियार सिंह के बयान और उनकी प्राथमिकी के बीच विसंगतियां थीं; (v) जोगेंद्र सिंह की उंगलियों के निशान जीप से प्राप्त नहीं हुए थे (जिसे कथित तौर पर वह चला रहे थे); और (vi) उजियार सिंह की बंदूक से सूर्यभान सिंह की उंगलियों के निशान नहीं उठाए गए थे। 12. इसके बाद जांच अधिकारी ने 8 मार्च 2021 को एक पूरक चालान दायर किया जो दर्शाता है कि जे. एम. एफ. सी. द्वारा निर्देशित आगे की जांच के आधार पर, विकास सिंह की मौत में उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह की संलिप्तता दिखाने वाले सबूत सामने आए थे। इसलिए, 10 मार्च 2021 के आदेश में, जे. एम. एफ. सी. ने पाया कि जांच अधिकारी ने केवल उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह के खिलाफ जांच की थी, और सूर्यभान सिंह और जोगेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपों पर ठीक से विचार नहीं किया था। इस तरह दोनों को बुलाया गया।

13. जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह ने तब अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किए। 24 मार्च 2021 के अलग-अलग आदेशों द्वारा, निचली अदालत ने उनके आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि: ((i) पूर्व आदेश

9 " पीएसटीएन "

10 " 2021 का जे. एम. एफ. सी. 1 1 जमानत आवेदन संख्या 89 और 2021 का जमानत आवेदन संख्या 88 प्रशांत सिंह राजपूत बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जे. एम. एफ. सी. ए. डी. ने 13 जनवरी 2021 को जांच अधिकारी की चूक को स्वीकार किया; (ii) जांच अधिकारी ने सी. डी. आर. पर भरोसा किया लेकिन यह पता नहीं लगाया कि क्या जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह ने उन नंबरों का भी इस्तेमाल किया था या क्या वे सिर्फ उनके नाम पर पंजीकृत थे; और (iii) सी. आर. पी. सी. की धारा 161 और 164 के तहत गवाहों के बयान उन्हें एक विशिष्ट भूमिका प्रदान करते हैं, जिसे केवल मृतक-विकास सिंह और आरोपी व्यक्तियों के बीच पूर्व शत्रुता के कारण अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

14. इसके बाद जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन 1 2 में उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने क्रमशः 1 जुलाई 2021 और 31 मई 2021 को आवेदनों को मंजूरी दी। उच्च न्यायालय के आदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत हैं।

सी प्रस्तुतियाँ

15. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को स्वीकार करते हुए, श्री उदय गुप्ता, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील

निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया है:

((i)

एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से रिपोर्ट पर भरोसा किया
जाँच अधिकारी ने जोगेंद्र सिंह और

सूर्यभान सिंह उस स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकते थे जहाँ घटना हुई थी और इस स्तर पर रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था; (ii) एकल न्यायाधीश ने 13 जनवरी 2021 के जे. एम. एफ. सी. के आदेश और 24 मार्च 2021 के निचली अदालत के बाद के आदेश में टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया, जो इंगित करता है कि जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच में अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण परिस्थितियों की अनदेखी की गई थी।

एकल न्यायाधीश ने एफ. आई. आर. और उनके बयानों को नजरअंदाज कर दिया

(iii)

अपीलार्थी और दूसरे चश्मदीद गवाह जिनके अनुसार जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह अदालत में उपस्थित थे।

चूंकि चारों आरोपी एक जीप में एक साथ आए थे, और प्रत्येक की अपराध में विशिष्ट भूमिका थी: (क) जोगेंद्र सिंह जीप चला रहा था और फिर विकास सिंह को पकड़ लिया।

उजियार सिंह द्वारा उसके पेट में गोली मारने के बाद वह भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद चंद्रभान सिंह ने उसके सिर में गोली मार दी; और (बी) सूर्यभान सिंह ने अपीलार्थी पर राइफल के बट से हमला किया।

(iv) कि उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश ने जोगेंद्र सिंह द्वारा दायर अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया, यहां तक कि उनके खिलाफ अवैध रेत खनन के लिए दर्ज मामले में भी।

12 2021 का एम. सी. आर. सी. सं. 31835 और 2021 का एम. सी. आर. सी. सं. 18604 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृतक द्वारा दायर शिकायत-विकास सिंह, वर्तमान मामले में उसके खिलाफ आरोपों की प्रकृति के कारण; और

(v)

एकल न्यायाधीश ने गंभीरता और गंभीरता को नजरअंदाज किया है

अपराध के साथ-साथ भौतिक पहलुओं और इसलिए, इस न्यायालय को दिए गए अग्रिम जमानत को रद्द कर देना चाहिए।

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार

महिपाल वी. राजेश कुमार 1,3 ("महिपाल")।

16. श्री एस. के. गंगेले, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

नरेंद्र सिंह ने आग्रह किया कि:

जाँच अधिकारी द्वारा दायर रिपोर्ट से पता चलता है कि

(1)

जोगेंद्र सिंह उस स्थान पर मौजूद नहीं थे जहाँ

घटना हुई, लेकिन जबलपुर में थी;
उजियार सिंह के कहने पर दर्ज की गई एफ. आई. आर. में प्रावधान है

((ख)

विकास सिंह की मौत की घटनाओं का एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण, जिसके अनुसार उजियार सिंह ने मृतक पर गोली चला दी क्योंकि वह और अपीलकर्ता उसे धमकी दे रहे थे जीवन; और

(iii) उजियार सिंह की एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि उनकी राइफल तोड़ दी गई थी।

अपीलार्थी और उसके सिर और हाथ पर लाठी लगने से वह भी घायल हो गया था, दोनों चोटों की व्याख्या नहीं की गई है।

17. श्री आर. सी. मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ वकील अपनी ओर से पेश हुए।

रयभान सिंह ने आग्रह किया:

((i)

उनके बीच दुश्मनी के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई है।
परिवार और मृतक-विकास सिंह जो रेत माफिया चलाता था, जिसके खिलाफ उसके पिता, आरोपी उजियार सिंह ने शिकायत की थी। मृतक-विकास सिंह भी अपराधी था।

पूर्ववर्ती;

((ख)

यह आरोप कि अपीलार्थी को चोट लगी है

सूर्यभान सिंह द्वारा बट से हमला करने के कारण सिर
राइफल की चोट की प्रकृति के साथ असंगत है, जो

एक घर्षण है; और

(iii) एफ. आई. आर. और सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत अपीलार्थी का बयान सूर्यभान सिंह द्वारा अपीलार्थी पर बंदूक से मारने से पहले गोली चलाने का कोई आरोप नहीं लगाता है, जबकि उसका बयान सी. आर. पी. सी. की धारा 164 के तहत है।

.

0) 2 एस. सी. सी. 118, पैरा 16 प्रशांत सिंह राजपूत बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पहली बार वह दावा करता है। ऐसा कोई खाली कार्ट्रिज नहीं है।
मृतक के शरीर में केवल गोलियां मिली हैं

विकास सिंह को बरामद कर लिया गया है।

18. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री अभिनव श्रीवास्तव ने आग्रह किया कि अग्रिम जमानत देने का आदेश अस्थिर है क्योंकि:

अपराध गंभीर प्रकृति का है; और

(1)

((ख)

जैसा कि 13 जनवरी 2021 के जे. एम. एफ. सी. के आदेश में उल्लेख किया गया है, जबकि

उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया था, जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह को

फरार होते रहे।

19. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब हमारे विचार के लिए आती हैं।

डी विश्लेषण

20. एफ. आई. आर. में अपराध करने में जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह दोनों की विशिष्ट भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है। सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत अपीलार्थी का बयान निम्नलिखित का विज्ञापन करता है: (i) कि उजियार सिंह उस भूमि से अवैध रूप से खनन की गई रेत ले जाएगा जिस पर वह मृतक-विकास सिंह के साथ खेती कर रहा था; (ii) जब उन्होंने उजियार सिंह को रुकने के लिए कहा, तो उन्होंने अपराध किया और मृतक-विकास सिंह के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कीं; (iii) 29 सितंबर 2020 को मृतक-विकास सिंह और अपीलकर्ता मृतक के वाहन में नेगई तिराहा गए-विकास सिंह और दोपहर लगभग 1 बजे वहां पहुंचे, जहां वे दो अन्य लोगों (राजकिशोर राजपूत और धर्मेंद्र पटेल) से मिले; (iv) चार आरोपी व्यक्ति (उजियार सिंह, चंद्रभान सिंह, सूर्यभान सिंह और जोगेंद्र सिंह) जोगेंद्र सिंह द्वारा चलाई जा रही जीप में पहुंचे; (v)

शिकायत करें।

[2021] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. इस स्तर पर सामग्री की जांच आपराधिक मुकदमे के तरीके से महीन दांतों की कंघी से नहीं की जा सकती है। यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या एकल न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत देने के मानदंडों को सही ढंग से तैयार किया गया था और लागू किया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों के लिए वकील के प्रस्तुत करने की पंक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और धारा 164 के तहत अपीलार्थी के बयानों के बीच कुछ भिन्नता पर आधारित है, अर्थात्: (i) कि अपीलार्थी और मृतक दोपहर 1 बजे के बजाय लगभग 1 बजे के आसपास नेगाई तिराहा पहुंचे; और (ii) विकास सिंह को चंद्रभान सिंह द्वारा सिर में गोली मारने के बाद, सूर्यभान सिंह को पहली गोली मारी गई। अपीलार्थी लेकिन गोली उसके सिर के ऊपर चली गई। इसके बाद, सूर्यभान सिंह ने बंदूक के बट से उनके सिर में वार किया, जिसके बाद राइफल का हैंडल टूट गया और वहीं गिर गया।

23. सी. आर. पी. सी. की धारा 164 के तहत एक अन्य चश्मदीद धर्मेंद्र पटेल के बयान में उल्लेख किया गया है कि जब वह नेगई पहुंचे थे तिराहा, उसने राजकिशोर राजपूत को देखा जिसने उसे सूचित किया कि मृतक विकास सिंह आने वाला है। इसके अलावा, उसका बयान धारा 164 के तहत अपीलार्थी और राजकिशोर राजपूत के बयानों से मेल खाता है।

D. 1 अग्रिम जमानत रद्द करना

24. महिपाल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के हाल के एक फैसले में, इस न्यायालय ने उस दृष्टिकोण में अंतर का उल्लेख किया है जिसे इस न्यायालय को उस आदेश को चुनौती देते हुए अपनाना चाहिए जिसने जमानत दी है और जमानत को रद्द करने के लिए एक आवेदन पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा:

" 16. अपीलीय न्यायालय की शक्ति का मार्गदर्शन करने वाले विचार
जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन के मूल्यांकन से अलग आधार पर खड़ा होता है। जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या कोई अनुचित या अनुचित था।

जमानत देने में विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग। परीक्षण यह है कि क्या जमानत देने का आदेश विकृत, अवैध शांत सिंह राजपूत बनाम है।

मध्य प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

या अनुचित। दूसरी ओर, जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन की जांच आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे जमानत दी गई है, पर्यवेक्षी परिस्थितियों के अस्तित्व या जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर की जाती है। नीरू यादव बनाम।

यू. पी. राज्य [नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 16 एस. सी. सी. 508: (2015) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 527], अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 16031]। आदेश के खिलाफ एक अपील में [मिठन यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 उच्च न्यायालय की एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 16031], इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उन सिद्धांतों पर पूर्ववर्ती का सर्वेक्षण किया जो जमानत देने का मार्गदर्शन करते हैं। दीपक मिश्रा, जे. (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने अभिनिर्धारित किया: (नीरू यादव मामला [नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 16 एस. सी. सी. 508: (2015) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 527], एस. सी. सी. पी. 513 , पैरा 12)

" 12. ..... यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द कर दिया जाता है क्योंकि आरोपी ने खुद को गलत तरीके से पेश किया है या ऐसी रद्द करने के लिए कुछ पर्यवेक्षी परिस्थितियां हैं।

हुआ एक आदेश से पूरी तरह से अलग डिब्बे में है

जमानत देना जो अनुचित, अवैध और विकृत हो। यदि किसी मामले में, प्रासंगिक कारक जिन पर विचार किया जाना चाहिए था

जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय विचार नहीं किया गया है, या जमानत अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय जमानत के इस तरह के अनुदान के आदेश को रद्द कर सकता है। ऐसा मामला एक अलग श्रेणी और एक अलग क्षेत्र में है। दूसरी प्रकृति के मामले पर विचार करते समय, न्यायालय अभियुक्त या अभियुक्त द्वारा शर्तों के उल्लंघन पर ध्यान नहीं देता है।

बाद में। इसके विपरीत, यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की न्यायसंगतता और दृढ़ता पर प्रकाश डालता है। 17. जहाँ जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाला न्यायालय प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहता है, वहाँ एक अपीलीय न्यायालय कर सकता है

जमानत देने के आदेश को न्यायोचित रूप से रद्द कर दें। इस प्रकार एक अपीलीय अदालत को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आदेश

जमानत देना दिमाग के गैर-आवेदन से ग्रस्त है या साक्षय के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से उत्पन्न नहीं होता है रिकॉर्ड करें। इस प्रकार इस न्यायालय के लिए यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या साक्षय अभिलेख के आधार पर, एक प्रथम [2021] 10 एस. सी. आर. मौजूद था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह विश्वास करने के लिए प्रत्यक्ष या उचित आधार कि अभियुक्त ने

अपराध को भी ध्यान में रखते हुए
अपराध की गंभीरता और गंभीरता

सजा।

" "

(जोर दिया गया)

25. डॉ. नरेश कुमार मंगला बनाम में एक अन्य निर्णय में। अनीता अग्रवाल और अन्य 14 1 4 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपनी पत्नी की अप्राकृतिक मृत्यु के बाद

आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। न्यायालय ने अग्रिम अनुदान पर अधिकारियों का सर्वेक्षण किया

जमानत और आयोजित:

" 19. सुशीला अग्रवाल बनाम मामले में संविधान पीठ के हालिया फैसले में। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [(2020) 5 एस. सी. सी. 1], उन विचारों को दोहराया गया है जिन्हें अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेने में न्यायालय के साथ विचार करना चाहिए।

न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष बताते हैं कि -

" ..... 92.3 ..... आवेदन पर विचार करते समय (अनुदान के लिए)

अग्रिम जमानत) अदालत को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की संभावना, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ (गवाहों को डराने सहित), न्याय से भागने की संभावना (जैसे कि अपराध को छोड़ देना) पर विचार करना होगा।

देश), आदि।

92.4 . न्यायालयों को आम तौर पर अग्रिम जमानत देने या अस्वीकार करने पर विचार करते समय अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। देना है या नहीं, यह विवेकाधिकार का विषय है; समान रूप से क्या और यदि ऐसा है, तो किस तरह की विशेष शर्तें लगाई जानी हैं (या नहीं लगाई जानी हैं), यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, और अदालत के विवेकाधिकार के अधीन है। 20. संविधान पीठ ने दोहराया है कि जमानत देने के आदेश की शुद्धता एक अपीलीय या उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन के अधीन है और इसे इस आधार पर दरकिनार किया जा सकता है कि जमानत देने वाले न्यायालय ने भौतिक तथ्यों या महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार नहीं किया।

[.....]

14 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1031 शांत सिंह राजपूत बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

22. यहाँ उन विचारों के बीच अंतर का उल्लेख करना उचित है जो अग्रिम जमानत और नियमित जमानत के अनुदान का मार्गदर्शन करते हैं। पोकर राम बनाम। राजस्थान राज्य

[(1985) 2 एस. सी. सी. 597] ने अग्रिम जमानत देने के आदेश को दरकिनार करते हुए इस न्यायालय ने कहा: .....विद्वान मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि अग्रिम जमानत के संबंध में, यदि प्रस्तावित आरोप न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि किसी गुप्त उद्देश्य से प्रतीत होता है, तो उद्देश्य आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाना और अपमानित करना है, आम तौर पर गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर आवेदक को रिहा करने का निर्देश दिया जाएगा। यह देखा गया कि "यह एक अक्षम्य नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अग्रिम जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि प्रस्तावित आरोप स्पष्ट नहीं हो।

दुर्भावना से प्रेरित; और, समान रूप से, कि अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए यदि कोई डर नहीं है कि आवेदक फरार हो जाएगा। कुछ प्रासंगिक विचार जो विवेकाधिकार को नियंत्रित करते हैं, उनमें "प्रस्तावित आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपों को बनाने के लिए संभावित घटनाओं का संदर्भ, आवेदक की उपस्थिति की उचित संभावना नहीं है।

मुकदमे में एक उचित आशंका कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी और 'जनता या राज्य के व्यापक हित' कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर अदालत को विचार करना चाहिए।

अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान रखें। एक चेतावनी दी गई थी कि "इस विचार के मूल्यांकन में कि क्या आवेदक के फरार होने की संभावना है, इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अमीर और शक्तिशाली खुद को मुकदमे के लिए प्रस्तुत करेंगे और विनम्र और गरीब न्याय के मार्ग से भाग जाएंगे, इससे अधिक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले वाले के अपराध करने की संभावना नहीं है और बाद वाले के अपराध करने की अधिक संभावना है।"

26. आइए अब हम वर्तमान मामले के संदर्भ में इन सिद्धांतों पर विचार करें। दोनों पक्षों ने मृतक सिंह और उजियार सिंह के परिवार के बीच मौजूद दुश्मनी के संबंध में अपनी बात रखी है। लेकिन हमें यह तय करने की आवश्यकता नहीं है कि मृतक विकास सिंह था या उजियार।जो अवैध रूप से रेत का खनन कर रहा था; बल्कि, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि दोनों के बीच दुश्मनी थी, चाहे वह उकसाने वाला कोई भी हो।

27. वर्तमान घटना के संबंध में, अपीलार्थी का मामला एफ. आई. आर., धारा 161 और 164 के तहत उसके बयानों द्वारा समर्थित है। सी. आर. पी. सी., और अन्य दो चश्मदीद गवाहों के बयान सी. आर. पी. सी. की धारा 164 के तहत। दूसरी ओर जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान

अपीलार्थी के कहने पर पंजीकृत। जाँच अधिकारी की 15 दिसंबर 2020 की पहली रिपोर्ट ने संकेत दिया कि उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला था। 8 मार्च

2021 का पूरक चालान इंगित करता है कि उजियार सिंह के कहने पर दर्ज प्राथमिकी में चित्रित घटनाओं के खिलाफ जांच के दौरान अधिक सामग्री सामने आई थी। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा चित्रित मामले को केवल काउंटर-एफ़. आई. आर. पर भरोसा करके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 28. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए 15 दिसंबर 2020 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा किया है कि

घटना के समय जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह मौजूद नहीं थे। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया है 13 फरवरी 2021 के जे. एम. एफ. सी. के आदेश और 24 मार्च 2021 के निचली अदालत के आदेश में उजागर की गई जांच के दौरान कमियां। अन्य बातों के साथ-साथ ये हैं: (i) चश्मदीद गवाहों के बयानों पर ध्यान देने में विफलता; (ii) घटना के बाद की अवधि के लिए सीसीटीवी फुटेज पर निर्भरता, पहले या बाद की अनदेखी करना।

समकालीन फुटेज; (iii) बीच में सीसीटीवी फुटेज एकत्र नहीं करना।

जबलपुर और अपराध स्थल; (iv) यह निर्धारित किए बिना कि क्या जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह ने वास्तव में संख्या का उपयोग किया था, सीडीआर पर भरोसा करना; और (v) कोई फिंगर प्रिंट विश्लेषण नहीं करना। 13 फरवरी 2021 के आदेश में, जे. एम. एफ. सी. ने जाँच के साथ इन कमियों की पहचान की और आगे की जाँच का निर्देश दिया। पूरक चालान जमा करने पर, जे. एम. एफ. सी. ने 10 मार्च 2021 के अपने आदेश में कहा कि चालान केवल उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह के संबंध में था, और इसमें जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह की भूमिका को संबोधित नहीं किया गया था। जांच में स्पष्ट कमियों ने अग्रिम जमानत के लिए जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह के आवेदनों को खारिज करने वाले 24 मार्च 2021 के निचली अदालत के आदेश में त्रुटियों की ओर इशारा किया है। हालाँकि, एकल न्यायाधीश ने इन महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर दिया है

पहलू।

29. अंत में, सूर्यभान सिंह की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपीलार्थी का बयान है

यह कि सूर्यभान सिंह ने भी अपीलार्थी पर गोली चलाई, एफ. आई. आर. और सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत उसके बयान में केवल यह दर्ज है कि उसने उसे बंदूक के बट से मारा था। मुकदमा अभी होना बाकी है जहाँ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षय की सराहना की जाएगी, और धारा 164 के तहत अपने बयान में अपीलार्थी के दावे की सत्यता वहाँ निर्धारित की जा सकती है। हालाँकि, वर्तमान स्तर पर, धारा 161 और 164 के तहत प्राथमिकी और अपीलार्थी

के दोनों बयान उतने ही सुसंगत हैं जितना कि सूर्यभान सिंह ने बंदूक के बट से उनके सिर में मारा था। अपीलार्थी को हुई चोट की प्रकृति के संबंध में भी एक तर्क दिया गया है,

लेकिन इसका फैसला साक्षय के सामने आने के बाद मुकदमे के चरण में किया जाना है।

30. न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या इस स्तर पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उच्च न्यायालय ने सही सिद्धांतों को लागू किया है

अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को अनुमति देने में। यह अपराध गंभीर प्रकृति का है जिसमें विकास सिंह की हत्या की गई थी। एफ. आई. आर. और सी. आर. पी. सी. की धारा 161 और 164 के तहत दिए गए बयान अपराध में जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह की विशिष्ट भूमिका का संकेत देते हैं। अग्रिम जमानत देने के आदेश में अपराध की प्रकृति और गंभीरता और जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह के खिलाफ विशिष्ट आरोपों सहित भौतिक पहलुओं की अनदेखी की गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए एक पर्याप्त मामला बनाया गया है।

ई निष्कर्ष

31 इसलिए, अपीलों की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 1 जुलाई 2021 और 31 मई 2021 के विवादित निर्णय

इन अपीलों में दूसरे प्रतिवादी जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह को अग्रिम जमानत देने वाली मध्य प्रदेश की अदालत को दरकिनार कर दिया गया है।

32 लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।